

पत्रांक :- 1861/30129
सेवा में

दिनांक : 26/9/19

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग,
नैनीताल।

विषय :- जनपद नैनीताल में घुघूखान सौड़ मोटर मार्ग एवं दैवीपुरा सौड़ मोटर मार्ग के मध्य मिसिंग लिंक मार्ग के निर्माण हेतु 0.36 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- पर्यावरण वन एवं जलवायु, परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 8बी०/ यु० सी०पी० /06/163/2015/एफ०सी०/1093 दिनांक 09.08.2019

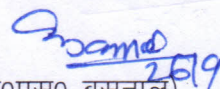
महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण निम्नवत् कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अपने स्तर से प्रकरण को उच्चाधिकारियों को प्रेषित करने का कष्ट करें।

S.N	EDS Raised /shortcoming in the proposal	Reply of EDS
A- Compliance of EDS dt. 09.08.2019 is awaited		
1	EDS point wise reply has not been furnished by the state Government .The reply of one point has been furnished but this point also does not pertain to the EDS point No. 01 State Government may submit the clarification in this regard.	सम्बन्धित EDS के दोनो बिन्दुओं में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया था किन्तु त्रुटिवश Reply प्रारूप में नहीं दिया जा सका। Rvised KML एवं संबंधित मानचित्र यथास्थान Upload कर दिये गये हैं।
2	It is seen from the KML file that the road cutting work has already been constructed area and State Government has mentioned that the road has already been constructed adjacent to the proposed alignment of the road by the villagers for movement in past. But proposed alignment does not seen constructed by the villagers. State Government may get the area inspected by the CF in view of this point and violation of provision of FCA, if any the action taken by the DFO in the manner may be submitted to this office.	KML फाइल में प्रदर्शित प्रस्तावित मोटर मार्ग के समान्तर चल रहा पैदल मार्ग पूर्व में निर्मित मार्ग है। जिसका उपयोग ग्रामीणों द्वारा नौनिया विनायक से सौड़ ग्राम के आवागमन हेतु किया जाता रहा है। उक्त मार्ग पर वाहनों का आवागमन सम्भव नहीं है। सड़क ज्यामिती की विशिष्टियों के अनुरूप सर्वेक्षण करने पर पुराने पैदल मार्ग में मोटर मार्ग निर्माण सम्भव न होने के कारण पूर्व निर्मित पैदल मार्ग के लगभग समानान्तर मोटर मार्ग प्रस्तावित की गयी है। जिस हेतु दिनांक 22.11.2017 को प्रभागीय वनाधिकारी एवं याचक विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया था, (निरीक्षण आख्या संलग्न)। जिसके उपरान्त CF महोदय द्वारा भी स्वयं कार्यस्थल का मौका मुआयना कर ही सम्बन्धित वन भूमि प्रस्ताव को संस्तुति दी गयी है। प्रस्तावित मोटर मार्ग की लम्बाई केवल 660 मी० है। किन्तु मार्ग के निर्माण से समस्त कोटाबाग ब्लॉक नैनीताल जिला मुख्यालय से जुड़ जायेगा। मार्ग की महत्ता के दृष्टिगत उक्त मार्ग को माननीय मुख्यमंत्री घोषण में स्वीकृति दी गयी है।
3	Sol toposheet map and geo-referenced digital map of the area proposed for diversion have not been authenticated by DFO State Government may submit the original copy of the maps duly authenticated by the DFO and upload the same at para C (iii) and C (iv) of part I online.	Toposheet map एवं geo-referenced map की प्रभागीय वनाधिकारी महोदय से हस्ताक्षरित करने के उपरान्त पुनः अपलोड किया जा रहा है।

संलग्न:-संयुक्त निरीक्षण टिप्पणी की प्रति।

भवदीय


(डी०एस० बसनाल)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
नैनीताल

संयुक्त निरीक्षण टिप्पणी

प्रस्तावित घुघुखान सौड़ मोटर मार्ग एवं देवीपुरा सौड़ मोटर मार्ग के मध्य मिसिंग लिंक मार्ग के निर्माण हेतु 0.360 है० वन भूमि प्रकरण के सम्बन्ध में संयुक्त निरीक्षण टिप्पणी।

आज दिनांक 22-11-2007 को विषयगत प्रस्तावित मोटर मार्ग का स्थल निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल के साथ किया गया। संयुक्त निरीक्षण में उप प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल, वन क्षेत्राधिकारी कोसी, क्षेत्रीय कर्मचारी लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता तथा क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों उपस्थित थे। उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग प्रस्तावित घुघुखान सौड़ मोटर मार्ग एवं देवीपुरा सौड़ मोटर मार्ग के मध्य मिसिंग लिंक मार्ग का निर्माण किया जाना है। उप प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल द्वारा अवगत किया कि घुघुखान सौड़ मोटर के निर्माण की 11 किमी० की स्वीकृति अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल को वर्ष 2006 में प्राप्त थी एवं देवीपुरा सौड़ मोटर मार्ग के निर्माण की 29 किमी० की स्वीकृति 2007 में अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० को प्राप्त थी। जिसमें दोनो मार्ग के मध्य 660 मीटर मार्ग भाग छूट गया, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा घुघुखान सौड़ एवं देवीपुरा सौड़ मोटर मार्ग के मध्य मिसिंग प्रस्ताव गठित किया गया। जिसमें 400 मीटर लम्बाई तथा 9 मीटर चौड़ाई में 0.360 है वन पंचायत भूमि एवं 260 मीटर में नाप भूमि प्रस्तावित होती है।

प्रस्तावित मार्ग के प्रस्तावित समरेखण में 34 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के प्रभावित होते हैं। जिसमें वन पंचायत भूमि के 31 वृक्ष तथा नाप भूमि के 3 वृक्ष सम्मिलित हैं। 18 वृक्ष ऑन लाईन में प्रविष्टि की गई है। शेष वृक्षों को ऑन लाईन टिप्पणी में अंकित किया गया है।

Geo-refrenced map and soft copy में जो मार्ग प्रदर्शित हो रहा है वह स्थानीय ग्रामीणों द्वारा पुराना पैदल मार्ग है। जिसका उपयोग ग्रामीणों द्वारा आवागमन हेतु किया जाता रहा है। लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग उक्त विद्यमान पैदल मार्ग से अलग समरेखण से गुजरता है। जिसे लो०नि०वि० Geo-refrenced map and soft copy द्वारा में लाल रंग से दर्शाया गया है।

संयुक्त निरीक्षण के दौरान पाया गया कि Geo-refrenced map and soft copy में जो मार्ग प्रदर्शित हो रहा है। वह स्थानीय ग्रामीणों द्वारा पुराना पैदल मार्ग है। लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग उक्त विद्यमान पैदल मार्ग से अलग समरेखण प्रस्तावित किया गया है। जिसे लो०नि०वि० द्वारा Geo-refrenced map and soft copy में लाल रंग से दर्शाया गया है। जिसमें वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
नैनीताल

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
नैनीताल

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
नैनीताल

उप वन संरक्षक
नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल

वन क्षेत्राधिकारी
कोसी वन क्षेत्र
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल